180

संख्या–333/VI-2/2013–8(3)2005

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 12 सितम्बर, 2013

विषयः– स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के बुघाणी स्थित पैतृक आवास को हैरिटेज भवन/संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–944/सं0नि0उ0/चार–156/2013–14 दिनांक 08 जुलाई, 2013 तथा शासनादेश संख्या–104/VI–2/2013–8(3)2005 दिनांक 26 फरवरी, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के बुघाणी स्थित पैतृक आवास को हैरिटेज भवन/संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि, निर्माण कार्यो हेतु ₹174.34 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ₹6.16 लाख अर्थात कुल ₹180.50 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख पचास हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹100.00 लाख (एक करोड़) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2013 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008 दि0–15–12–08 के निहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– आगणन में इंगित अधिप्राप्ति की मदों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन करते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।

.....(2)

4– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय संगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

5– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

9– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

13– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य प्रत्येक दशा में दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण करा लिये जाये।

.....(3)

14– शासनादेश संख्या–104/VI–2/2013–8(3)2005 दिनांक 26 फरवरी, 2013 के द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹92.34 लाख के संतोषजनक पूर्ण व्यय किये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप पर एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

15– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति–106–संग्रहालय–03– संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण–00–24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–66(पी)/ XXVII–3/2013–14 दिनांक–11, सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 333 /VI-2/2013–8(3)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून
4. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।